

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 132119

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 13984

दिनांक 06.04.2018



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या

25

पत्रावली संख्या

1-137

दिनांक 2002-2003

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि
13/295, इन्दिरानगर, लखनऊ।

जनसेवा शैक्षिक समिति,

को

3113

14-01-2003

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक को दिनांक
14-01-2018

से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1200

रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

04-04-2018

जारी करने का दिनांक

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
Uttar Pradesh

रचना पत्र

1. संस्था का नाम जनसेवा शैक्षिक समिति
2. संस्था का पता 13/295 इन्दिरा नगर लखनऊ
3. संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष

4. संस्था का उद्देश्य

1. बालक/बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक य बौद्धिक विकास करना ।
2. ज्ञान वर्धन हितार्थ निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना ।
3. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन व संचालन करना ।
4. शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना जिनमें प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था करना ।
5. प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, टाईप शार्ट हैण्ड शिक्षा दिलाने वाली व्यवस्था करना ।
6. समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डियाकरा रिपजरा, ऐफ इंडिया, आयसकेम इंडिया, केयर, राष्ट्रीय महिला बोर्ड विश्व बैंक द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं का प्रचार प्रसार व संचालन करना ।
7. समाज के मूक-बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, बूढ़ों तथा निःश्रितों एवं बेरोजगारों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना ।
8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना ।
9. पर्यावरण संरक्षण, नशाउन्मूलन, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, जनसंख्या नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, कृषि विकास, बागवानी विकास, फल प्रसंस्करण, ऊसर बंजर भूमि सुधार आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व संचालन करना ।
10. महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई बुनाई, शिल्प कला, पेन्टिंग, निटिंग, कूकरी, बेकरी फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटीशियन, चिकन कला, जरी, आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर स्वायत्मकी बनाना ।
11. समय समाज सेवा, ग्राम्य सेवा, मानव सेवा एवं जनसेवा का कार्य करना ।
12. राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भावना शिविरों का संचालन करना ।
13. जनहितार्थ निःशुल्क चिकित्सालय, अवाधालय, छात्रावास, व्यायामशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, शिशु पालन गृह, बालवाडी, आंगनवाडी आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।
14. पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुपक्षी जीवजन्तु संरक्षण आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व संचालन करना ।

सत्य प्रतिशिष्ठि


 हिन्दू एजिभ्यूर
 परम्परा इन्डिया सोसाइटी
 23 अप्रैल 2023

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम, पते, पद तथा
व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है :-

क्र०सं०	नाम/पिता/पति का नाम पता	पद	व्यवसाय
1	श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री श्रीलाल	550/71क, साकेत पुरी आलमबाग लखनऊ।	अध्यक्ष बौकरी
2	श्री शिवसागर वर्मा पुत्र श्री श्रीलाल	13/295 इन्द्रिया नगर, लखनऊ।	निदेशक बौकरी
3	श्री श्रवण कुमार सिंह पुत्र श्री राजबहादुर सिंह	निकट नालन्दा स्कूल <u>आजाद नगर आलमबाग</u> लखनऊ।	प्रबन्धक/सचिव समाजसेवा
4	श्रीमती शान्ति वर्मा पत्नी श्री शिवसागर वर्मा	13/295 इन्द्रिया नगर, लखनऊ।	सदस्य समाजसेवा
5	श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री महावीर प्रसाद	550/71क, साकेतपुरी आलमबाग लखनऊ।	सदस्य समाजसेवा
6	श्रीमती किरन पत्नी श्री श्रवण कुमार सिंह	निकट नालन्दा स्कूल आजाद नगर आलमबाग लखनऊ।	सदस्य समाजसेवा
7	श्री अखिलेश कुमार सिंह पुत्र श्री प्रताप नारायण सिंह	551क/406, आजाद नगर, लखनऊ।	सदस्य समाजसेवा

6. हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस समृति पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोशाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांक / / 02

हस्ताक्षर :-

- 1- महावीर प्रसाद
- 2- दिलजीत
- 3- श्रीलाल
- 4- श्री श्रवण

सत्य प्रतिक्रिया पुरी

6- पुरी

हिन्दी रजिस्ट्रार - अमरनाथ

पिंड फूर फूर, तथा सोसाइटी

23/12/2003

नियमावली

- संस्था का नाम
- संस्था का पता
- संस्था का कार्यक्षेत्र

जनसेवा शैक्षिक समिति
13/295 इन्दिरा नगर लखनऊ
सम्पूर्ण भारतवर्ष

- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

आजीवन सदस्य:

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 1000 रुपये एक गुहत बगद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य:

- सदस्यता की समाप्ति:

- मृत्यु हो जाने पर।
- पागल या दिवालिया हो जाने पर।
- संस्था के प्रति हानि कर कार्य करने पर।
- अद्यशास प्रस्ताव एवं त्याग पत्र पारित होने पर।
- नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
- नैतिक अपराध में व्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
- लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।

- संस्था के अंग:

- साधारण सभा
- प्रबन्धकारिणी समिति।

- साधारण सभा:

गठन:

संस्था के आजीवन एवं सामान्य सदस्यों को निलोकण संस्था का गठन होगा।

बैठकें:

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि:

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

गणपूर्ति:

साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि:

सत्र प्रतिवर्षीय साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

पिंट फॉन फँड़ा. तथा सासाही

23.12.00



साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्यः

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचित करना।
 2. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
 3. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
 4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित करना।
8. प्रबन्धकारिणी समिति:

गठनः

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-एक, विदेशक-एक प्रबन्धक/~~प्रभिक~~-सदस्य-चार होंगे इस प्रकार कुल संख्या 7 होगी। आवश्यकतानुसार सदस्य संख्या बढ़ाई व घटाई भी जा सकेगी परन्तु व्यूनतम संख्या 7 व अधिकतम 15 तक ही की जा सकेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि:

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घन्टे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत कोई भी आकस्मिक स्थान की रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः



1. संस्था की उच्चति के लिए आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायों, दानशील व्यक्तियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी अर्धसरकारी विभागों, समाज कल्याण विभाग 30 प्र०, गोपनीय एवं सामाजिक संस्थाओं लोगों, गवाही, आवाही, नालाली, सिड्डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डिवाकरा, सिफसा, सैफ इंडिया, आक्सफोर्ड इंडिया, शिक्षा विभाग, बौद्धां, सूडा, झड़ा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हेलपेज इंडिया, शिक्षा मंत्रालय, केयर बैंकों, वित्तीय निगमों, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विभिन्न मंत्रालयों तथा अन्य श्रोतों से अग्र अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
5. संस्था के लिए चल अचल सम्पति दान रूपरूप प्राप्त करना क्रय करना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना।

6. संस्था की शाखाओं/उपसमितियों का गठन करना और उन

सिप्टी विभाग

निर राज फॉन नथ साहार्दी

20-१०, वरावर

23.01.2003

पर नियन्त्रण रखना।

वार्षिकाल:

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 2 साल का होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:

अध्यक्षः

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिए दिनांक अनुमोदन करना, तिथियों परिवर्तन यारना और बैठकों को स्थगित यारना।
3. समान मत होने पर निर्णयिक मत देना।
4. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
5. संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

निदेशकः

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना और उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
2. आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
3. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
4. दान, धन्दा व सदस्यताशुल्क प्राप्त कर रसीद देना एवं प्राप्त धन संस्था के खाते में जमा करना।
5. समिति के आकस्मिक कार्यहेतु 2000/- तक नगद रखना।
6. अध्यक्ष के परामर्श से अन्य कार्य करना।

Kamaljeet

प्रबन्धकालीन

guru

2010-11

शान्तीकार्य

lulu



1. संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयियों को कार्यान्वयित यारना।
3. अध्यक्ष एवं निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
4. राजकीय सहायता एवं अनुदान व ऋण प्राप्त करना।
5. सदस्यों की सदस्यता हेतु अध्यक्ष की अनुमति से स्वीकृति प्रदान करना।
6. संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
7. बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप से देना।
8. बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना व सुनाना।
9. सदस्यों का नाम रजिस्टर में लिखना।
10. वेतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति व वेतनवृद्धि अध्यक्ष एवं निदेशक की सहमति से करना।
11. रागत बिल व बाउतरों, अनुबन्धों पत्रों संग्रहीत, आहरण पत्र नियुक्ति पत्रों, लेखों-विलेखों, बंधक पत्रों, डिगार्ड पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।
12. संस्था के अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखना।
13. संस्था की रामस्त चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना और उस पर नियन्त्रण रखना।
14. संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:

संस्था प्रतिविधि विधायिका सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के वियगों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जायेगा।

हिन्दी लिखित

निधि छठ फूल, तथा शास्त्रादीप

२३०१२

1. संस्था का कोष:

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक एवं निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से विकाला जायेगा।

12. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुपोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विलद्व अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:

संस्था द्वारा अथवा उसके विलद्व आदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक पर होगा या प्रबन्धक द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा।

14. संस्था के अभिलेखः

1. सदस्यता रजिस्टर।
2. कार्यवाही रजिस्टर।
3. स्टाक रजिस्टर।
4. कैश बुक रजिस्टर।

15. संस्था के विधाटन एवं विधाटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक:
२०-१२-०८



हस्ताक्षरः

1. M. K. Singh
2. Dagar
3. Chaudhary

राज्यावाही

मुख्यमंत्री

कार्यालय

मुख्यमंत्री

राज्यावाही

मुख्यमंत्री

नियमित रूप से, तथा सांघीकृत
२० अक्टूबर, २००८

23.01.2008